

7/16
MER

Chos (Kulvi)
25/7/16

61

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

2
09/2016

139

No. E (NG)II/2016/RR-1/8

RBE No. 71/2016
New Delhi, dated 21.06.2016

The General Manager (P)
All Indian Railways/Production Units.
Chairmen/RRCs

Sub: Recruitment of staff from open market in Pay Band-1 of ₹5,200-20,200 having Grade Pay of ₹1800/-.

Pursuant to amendment to Section 22 Sub-section (1) of the Apprentices Act, 1961, Board had constituted a Committee to formulate the policy for according preference to Course Completed Act Apprentices (CCAAs) in recruitment. The Committee has given its recommendation and accordingly, it has been decided by the Board that 20% of the vacancies in case of direct recruitment to posts/categories in Pay Band-1 of ₹5,200-20,200 having Grade Pay of ₹1800/- shall be filled giving preference to Course Completed Act Apprentices (CCAAs) trained in Railway establishments and possessing National Apprenticeship Certificate (NAC) granted by National Council of Vocational Training (NCVT). This will be in the nature of horizontal reservation as in the case of Persons with Disabilities (PWDs) and Ex-Servicemen. However, unlike in the case of PWDs, there will be no 'carry forward' of the unfilled vacancies, to be filled by this mechanism. In case of shortfall, the vacant slots shall be filled from others in the combined merit list. Guidelines are enclosed as Annexure.

Please acknowledge receipt.
(Hindi version will follow)

DA: As above

(Neeraj Kumar)
Director Estt.(N)II
Railway Board

Copy to:

- (i) The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhawan, New Delhi (35 spares).
- (ii) The General Secretary, NFIR, Room No. 256-E, Rail Bhawan, New Delhi (35 spares).
- (iii) All Members of Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
- (iv) The Secretary General, FROA, Room No. 256-A, Railway Board (5 spares).
- (v) The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers' Association.
- (vi) The President, Railway Board Class II Officers' Association.
- (vii) The Secretary General, IRPOF.

24
05.07.16

2/-

3
29/06/16

17

Annexure to letter No. E (NG) II/2016/RR-1/8 dated 21/06/2016.

1. The preference to the Course Completed Act Apprentices (CCAAs) trained in Railway Establishments, as envisaged in the above letter, is in compliance of amendment to Section 22 of the Apprentices Act, 1961 which reads as under:-

12. In Section 22 of the Principal Act, for sub-section (1), the following sub section shall be substituted, namely:-

"(1) Every employer shall formulate its own policy for recruiting any apprentice who has completed the period of apprenticeship training in his establishment."

The old provision read as under:-

"Section 22: Offer and acceptance of employment:-

1. It shall not be obligatory on the part of the employer to offer any employment to any apprentice who has completed the period of his apprenticeship training in his establishment, nor shall it to be obligatory on the part of the apprentice to accept an employment under the employer."

2. Preference by way of Horizontal Reservation envisaged in the above letter is distinct from Vertical Reservation provided to the SC, ST and OBC categories in recruitment. Horizontal reservation cuts across Vertical reservation and those selected against the quota under the horizontal reservation provided for CCAAs in terms of this letter have to be placed in the appropriate category in the reservation roster viz. SC/ST/OBC/UR depending upon the category to which they belong.

3. To illustrate, if the notified vacancies in an Employment Notice issued by an RRC are 1000, the total number of posts reserved under vertical reservation will be: SC =150; ST = 75; OBC 270, 505 unreserved and the vacancies for CCAAs will be 200 (for a 20% quota).

4. On conclusion of the written test, a combined merit list is to be prepared based on the marks as per extant procedure. The minimum qualifying marks shall continue to be as laid down in Board letter No. E(NG)II/96/RR-1/62 dated 18.07.2005.

5. To implement the Horizontal reservation by giving preference to CCAAs, the merit list is to be scrutinized and the first 200 CCAAs (for 20% horizontal reservation) plus an equal number of CCAAs as extra are to be called for PET. The provision of calling two times candidates for PET is as per Board's letter No. E (NG) II/2009/ RR-1/10/Pt. Dated 10.12.2014.

6. Those who qualify after PET will be considered as per merit against the 20% horizontal quota for CCAAs as notified.

7. In case of shortfall i.e when the CCAAs candidates to the extent of earmarked vacancies do not secure minimum qualifying marks and/or do not qualify in the PET, the difference of such CCAA vacancies, will be filled by other candidates in the normal merit list as per current instructions. There will be no carry forward of CCAA vacancies whatsoever.

.....2/-

4
29/2016

2

8. The selected CCAAs should then be adjusted against the respective community viz. SC/ST/OBC/UR depending upon the category to which they belong.

9. The application form should have a column - "Whether Apprenticeship was completed in Railway establishment (Yes/No)". For those filling it as 'Yes,' three more columns invariably shall also need to be filled by the candidate:-

- (a) Railway Establishment in which apprenticeship done/completed
- (b) Date of completion of such apprenticeship
- (c) NCVT certificate No. and Date (*)

(*) There could be cases where the Apprenticeship has been completed, but the NCVT certificate is awaited. Such candidates can be allowed to apply, with the condition that in case they qualify for the Document Verification (DV), they will have to bring the original NCVT certificate at DV stage, failing which they shall stand disqualified.

Other columns like Name, Father's Name, Educational Qualification, Date of Birth, Community, etc. should figure in the application form as usual.

10. While calling the shortlisted candidates for Document Verification, it must be mentioned that necessary Apprenticeship certificate should be produced in original.

11. The cut-off date given in the notification will also be the relevant cutoff date for completion of Apprenticeship. A candidate will be taken to have completed the Act Apprentice training, only if he has already appeared in NCVT examination, even though result may not have been declared by this date. NCVT certificate must be shown at DV stage else the candidate will stand disqualified for preference as CCAA.

12. The CCAAs trained in any Railway establishments will be eligible to apply against Employment Notification of any Zonal Railway irrespective of the establishment in which they have been trained subject to fulfilling other eligibility conditions. For example a candidate who has done Apprenticeship training in Gorakhpur Workshop can apply for vacancies notified by RRC/North Eastern Railway as well as RRC/Central Railway etc. and vice versa.

1/2

5
89/2016

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

127

सं. ई(एनजी)II/2016/आरआर-1/8

आरबीई सं.71/2016
नई दिल्ली, दिनांक 21.06.2016

महाप्रबन्धक (कार्मिक)

सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां.

अध्यक्ष/आरआरसी.

विषय: पे बैंड-1 में 1800/- रुपए के ग्रेड पे के साथ 5,200-20,200 रुपए में ओपन मार्केट से कर्मचारियों की भर्ती करना.

अप्रेन्टिस एक्ट, 1961 की धारा 22 उप धारा (1) में संशोधन किए जाने के बाद में बोर्ड ने भर्ती में कोर्स पूरा कर चुके एक्ट अप्रेन्टिसों (सीसीएए) को प्राथमिकता देने के संबंध में एक नीति तैयार करने के लिए एक समिति गठित की थी. इस समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं और तदनुसार, बोर्ड द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि पे बैंड-1 में 1800/- रुपए के ग्रेड पे के साथ 5,200-20,200 रुपए में ओपन मार्केट से पदों/कोटियों में सीधी भर्ती के मामले में 20% रिक्तियों को भरने में रेलवे संस्थापनाओं में प्रशिक्षित और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद (एनसीवीटी) द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय अप्रेन्टिसशिप सर्टिफिकेट धारी कोर्स कंप्लीट किए एक्ट अप्रेन्टिसों को प्राथमिकता दी जाएगी. यह अशक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और भूतपूर्व सैनिकों के मामलों की भांति ही हॉरिज़ॉन्टल आरक्षण होगा. बहरहाल, अशक्त व्यक्तियों के मामले से भिन्न इस विधि से भरे जाने वाली रिक्तियों के खाली रह जाने वाले पदों को 'आगे के लिए' नहीं रखा जाएगा. कमी रह जाने की स्थिति में, रिक्त पदों को संयुक्त मेरिट सूची में अन्य उम्मीदवारों से भरा जाएगा. दिशा-निर्देश अनुलग्नक के रूप में संलग्न हैं.

कृपया पावती दें.

संलग्न : यथोक्त.

(नীরज कुमार)

निदेशक स्थापना (अराज)-II

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

- जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)।
- जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)।
- विभागীয় परिषद तथा राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सुभी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)।

6
21/06/2016

दिनांक 21.06.2016 के पत्र सं. ई(एनजी)II/2016/आरआर-1/8 का अनुलग्नक

126

1. जैसा कि ऊपर उल्लिखित पत्र में कहा गया है, अप्रेंटिस एक्ट, 1961 की धारा 22, में किया गया संशोधन, जो निम्नानुसार गठित है, का अनुपालन करते हुए रेल स्थापनाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कोर्स कम्पलिटिड एक्ट अप्रेंटिसिस (सीसीएएस) को प्राथमिकता दी गयी है।

12. मुख्य अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1), के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) प्रत्येक नियोक्ता ऐसे अप्रेंटिसों की भर्ती के लिए अपनी नीति बनाएगा जिन्होंने उसकी संस्थापना में अप्रेंटिसशिप की प्रशिक्षण की अवधि पूरी की हो।"

पुराना प्रावधान निम्नानुसार था:-

"धारा 22: रोजगार का प्रस्ताव और उसे स्वीकार करना:-

1. नियोक्ता की ओर से किसी ऐसे अप्रेंटिस, जिसने उसकी किसी संस्थापना में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण की अवधि पूरी की हो, को किसी प्रकार का रोजगार प्रदान करना अनिवार्य नहीं होगा और न ही अप्रेंटिस के लिए नियोक्ता के अधीन रोजगार स्वीकार करना अनिवार्य होगा।"

2. उपर्युक्त पत्र में उल्लिखित हॉरिजॉन्टल आरक्षण के माध्यम से प्राथमिकता देना, भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को दिए गए वर्टिकल आरक्षण से भिन्न है। हॉरिजॉन्टल आरक्षण वर्टिकल आरक्षण को आर-पार जाता है और जिन्हें इस पत्र के अनुसार सीसीए के लिए प्रदत्त हॉरिजॉन्टल आरक्षण के अंतर्गत कोटा के तहत चुना जाता है, उन्हें जिस कोटि से वे आते हैं, उसके आधार पर आरक्षण रोस्टर अर्थात् अजा/अजजा/अपिव/अनारक्षित कोटि में रखा जाएगा।

3. उदाहरणस्वरूप, यदि रेलवे भर्ती कक्ष द्वारा जारी किसी रोजगार सूचना में अधिसूचित रिक्तियां 1000 हैं तो वर्टिकल आरक्षण के अंतर्गत आरक्षित पदों की कुल संख्या: अनुसूचित जाति = 150; अनुसूचित जनजाति = 75; अन्य पिछड़ा वर्ग = 270, अनारक्षित = 505 होगी और सीसीए के लिए रिक्तियां 200 (20% कोटा के लिए) होगी।

4. लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर, मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार अंकों के आधार पर एक संयुक्त मेरिट सूची तैयार की जाती है। इसके लिए न्यूनतम अर्हक अंकों का निर्धारण बोर्ड के दिनांक 18.07.2005 के पत्र सं. ई(एनजी)II/96/आरआर-1/62 के अनुसार किया जाना जारी रहेगा।

5. सीसीए को प्राथमिकता देकर हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू करने के लिए मेरिट सूची की छानबीन की जाएगी और पीईटी के लिए पहले 200 सीसीए (20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण के लिए) और अतिरिक्त के रूप में उतनी ही संख्या में सीसीए को आमंत्रित किया जाएगा। पीईटी के लिए दोगुने उम्मीदवारों को आमंत्रित करने का प्रावधान, बोर्ड के दिनांक 10.12.2014 के पत्र सं. ई(एनजी)II/2009/आरआर-1/10/पार्ट के अनुसार है।

6. जो प्रशिक्षु पीईटी के बाद में उत्तीर्ण होंगे उनके बारे में यथा अनुसूचित सीसीए के लिए 20% हॉरिजॉन्टल कोटा के तहत मेरिट के अनुसार विचार किया जाएगा।

12

2/-

7/04/2016

- 2 -

7. कमी रह जाने की स्थिति में अर्थात् जब निर्धारित रिक्तियों की सीमा तक सीसीए उम्मीदवार न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त नहीं करते हैं और/या पीईटी में उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो ऐसे सीसीए रिक्तियों के अंतर को मौजूदा अनुदेशों के अनुसार सामान्य मेरिट सूची के अन्य उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा। सीसीए रिक्तियाँ, चाहे जो भी हों, को आगे के लिए नहीं जोड़ा जाएगा।

8. चुने गए सीसीए को संबंधित समुदाय अर्थात् अजा/अजजा/अपिव/अनारक्षित की उस कोटि, जिनसे वे आते हैं, के तहत समायोजित किया जाना चाहिए।

9. आवेदन फॉर्म में एक कॉलम - "क्या अप्रेंटिसशिप रेल संस्थापना में पूरी की गई थी (हां/नहीं)" होना चाहिए। जो उम्मीदवार 'हां' भरते हैं, उन्हें निम्नलिखित तीन और कॉलम भी अनिवार्यतः भरने होंगे:-

- (क) रेलवे संस्थापना का नाम जिसमें उसने अप्रेंटिसशिप की हो/पूरी की हो
- (ख) ऐसी अप्रेंटिसशिप को पूरा करने की तारीख
- (ग) एनसीवीटी प्रमाणपत्र सं. और तारीख (+)

(*) ऐसे भी मामले हो सकते हैं जहां अप्रेंटिसशिप पूरी कर ली गयी हो, परन्तु एनसीवीटी सर्टिफिकेट प्राप्त न हुआ हो। ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जा सकती है कि यदि वे दस्तावेजों के सत्यापन (डीवी) के लिए अर्हक हो जाते हैं तो उन्हें डीवी के समय मूल एनसीवीटी प्रमाणपत्र लाना होगा और ऐसा नहीं करने पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

आवेदन पत्र में अन्य कॉलम जैसे नाम, पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, समुदाय, आदि यथावत् दिए जाने चाहिए।

10. दस्तावेजों की छानबीन करने के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आमंत्रित करते समय यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि अप्रेंटिसशिप प्रमाणपत्र की मूल प्रति प्रस्तुत की जाए।

11. अधिसूचना में दी गई अंतिम तिथि, अप्रेंटिसशिप पूरा करने की संगत अंतिम तिथि भी होगी। किसी उम्मीदवार का एकट अप्रेंटिस प्रशिक्षण तभी पूरा किया हुआ माना जाएगा, जब उसने एनसीवीटी परीक्षा पहले ही दी हो, भले ही उस तारीख तक परिणाम की घोषणा न हुई हो। दस्तावेजों की छानबीन के समय एनसीवीटी प्रमाणपत्र अवश्य दिखाया जाना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार को सीसीए के रूप में वरीयता देने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

12. किसी भी रेल संस्थापना में प्रशिक्षण प्राप्त सीसीए किसी भी क्षेत्रीय रेलवे की रोजगार अधिसूचना के तहत आवेदन देने के लिए योग्य होगा, बशर्ते कि वह अर्हता की अन्य शर्तों को पूरा करता हो। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी उम्मीदवार ने गोरखपुर वर्कशॉप से अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, तो वह रेलवे भर्ती कक्षा/पूर्वोत्तर रेलवे और साथ ही रेलवे भर्ती कक्षा/मध्य रेलवे आदि द्वारा और अधिसूचित रिक्तियों के लिए और प्रतिकूलतः भी आवेदन कर सकता है।

